**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

 **राज्य सभा**

 **अतारांकित प्रश्न संख्या-2073**

**जिसका उत्तर 28 जुलाई, 2014 को दिया जाना है ।**

**बीबीएमबी द्वारा तलवाड़ा में खाली मकानों की**

**नीलामी**

**2073. श्री अविनाश राय खन्नाः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा पंजाब की तलवाड़ा टाउनशिप में कर्मचारियों के लिए बड़ी संख्या में मकान/फ्लैट बनाए गए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन मकानों/फ्लैटों के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) वर्तमान में कितने मकान/फ्लैट खाली पड़े हैं;

(घ) क्या स्थानीय लोग और सेवानिवृत्त कर्मचारी यदि अनुमति दी जाए तो इन मकानों को खुली नीलामी में बाजार मूल्य पर खरीदने के इच्छुक हैं; और

(ङ) यदि हां,तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यदि सरकार इस तरह की नीलामी के पक्ष में नहीं है तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

**(क) और (ख) :** जी हाँ, ब्यास बांध परियोजना तलवाड़ा के निर्माण के समय उससे संबंधित कामगरों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों को आवास प्रदान करने के लिए भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा वर्ष 1962-1965 के दौरान विभिन्न टाइप के लगभग 3902 स्थायी घरों का निर्माण किया गया था। इन घरों/फ्लेटों के निर्माण पर 267.60 लाख रूपए की राशि खर्च की गई थी।

**(ग):** वर्तमान में, लगभग 678 घर खाली पड़े हैं।

**(घ) से (ङ):** शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वर्तमान नियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार, विभाग को सरकार अथवा सरकार नियंत्रित सांविधिक प्राधिकरणों से संबंधित भूमि की बिक्री अथवा दीर्घकालीन पट्टे के प्रत्येक मामले में मंत्रिमंडल का विशिष्ट अनुमोदन लेना होगा। बीबीएमबी से ऐसे घरों की नीलामी के लिए केंद्र सरकार को अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

\*\*\*\*\*\*\*\*